

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 17/2021

1. रमेश कुमार पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. राकेश पुत्र छोटूराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।

---वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
2. छोटूराम पुत्र बृजलाल जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
3. निर्मला पुत्री बुधराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
4. माया पुत्री छोटूराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
5. प्रियंका पुत्री छोटूराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
6. रेणु पुत्री छोटूराम जाति बिश्नोई साकिन 23 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।

---प्रतिवादीगण


--- उपस्थित अभिभाषकगण ---

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता | --- वादीगण |
| 2. श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता | --- प्रतिवादी सं. 1 ता 6 |
| 3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा | --- प्रतिवादी सं. 7 |
| 4. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला | --- प्रतिवादी सं. 8 |


निर्णय

दिनांक :- 13/01/2022

वादी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री विनोद कुमार बिश्नोई अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -1955 की धारा 88 व 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 23 एमओडी द्वितीय के खाता सं. 26/26 के प.नं. 7/261 (8) किला नं. 23 की 0.253 है. नहरी खातेदारी भूमि वादी सं. 1, किला नं. 22 की 0.253 है. नहरी खातेदारी वादी सं. 2 को व शेष कि0न0 24 व 25 की भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. एवं तहसील खाजूवाला के चक 11 बीडी (ए) के प.नं. 0 मु.नं.


13/01/2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

154/21 किला नं. 15, 16, 25, मु.नं. 154/22 किला नं. 4 ता 8, 13 ता 17, मु.नं. 154/29 किला नं. 10, 11, 20, 21, मु.नं. 154/30 के किला नं. 1, 2, 9 ता 12, 19, 20 कुल 6.325 है. कमांड खातेदारी वादी सं. 1, 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा/खाजुवाला को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तथा भूमि रहन मुक्त हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 13/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।


13/01/2022
(रणजीत कुमार) एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा